

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्या - डी.ई. 25(13)/399/एल.डब्ल्यू./2021-22/2826-2827

दिनांक - 23/03/22

सेवा में,

श्रीमान् उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054।

विषय- विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या - 08, दिनांक - 24.03.2022 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या - 08 (100 प्रतियाँ), जो कि दिनांक-24.03.2022 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

भवदीय

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

AS
(अशोक कुमार)
उप शिक्षा निदेशक (विधायी कार्य शाखा)
ASHOK KUMAR
Deputy Director of Education
(LW Branch)
Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054

संख्या - डी.ई. 25(13)/399/एल.डब्ल्यू./2021-22/2826-2827

दिनांक - 23/03/22

प्रतिलिपि - निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054 को 150 प्रतियाँ अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

N
(नीरज छतवाल)
अनुभाग अधिकारी (विधायी कार्य शाखा)
Section Officer
(L.W. Branch)
Dte. of Education
Old Sectt., Delhi-110054

विभाग का नाम :- शिक्षा विभाग

विभाग का पता :- पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 08

दिनांक :- 24.03.2022

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री जितेन्द्र महाजन

क्या माननीय उप मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	कोरोना में जान गंवाने वाले ऐसे अभिभावकों की संख्या कितनी है जिनके बच्चे प्राईवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं तथा ऐसे कितने बच्चों की फीस माफ की गई है, कुल राशि सहित जानकारी उपलब्ध कराएं;	सभी निजी गैर-सहायता मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले ऐसे बच्चों, जिनके अभिभावकों की कोरोना काल में मृत्यु हो गई थी, को ई.डब्ल्यू.एस. या फ्रिशिप की श्रेणी में रखने का आदेश विभाग द्वारा परिपत्र संख्या-F.No.DE.15(178)PSB/2021/3739-3743, दिनांक 22.09.2021 (संलग्नक 'क') द्वारा जारी कर दिया है। इस आदेश के अन्तर्गत ऐसे किसी भी बच्चे को उसके स्कूल द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जानी है। अतः ऐसे सभी बच्चों को उनके स्कूल द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। क्योंकि प्रश्न में कोई निश्चित समयावधि का उल्लेख नहीं है, इसलिए माफ की जाने वाली शुल्क राशि का आंकलन नहीं किया जा सकता।
ख)	फीस माफी योजना के अंतर्गत कितने बच्चों ने आवेदन किया, कितने प्राईवेट स्कूलों के लिए आवेदन आया तथा कितनों की फीस माफ कराई गई;	इस योजना में बच्चों को फीस माफ करने के लिए आवेदन करने का कोई आदेश नहीं दिया गया। सभी निजी गैर-सहायता मान्यता प्राप्त स्कूलों को ऐसे बच्चों की उपलब्ध सूचना के अनुसार फीस माफ करने के आदेश (उपरोक्तानुसार) जारी कर दिये गये हैं।
ग)	ऐसे निजी स्कूलों की संख्या बताएं जिन्होंने फीस माफी के अंतर्गत सरकार के आदेश की अवहेलना की; और	निजी गैर-सहायता मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा इस आदेश की अवहेलना की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो उस स्कूल के प्रति विभाग द्वारा उक्त आदेश परिपत्र संख्या-F.No.DE.15(178)PSB/2021/3739-3743, दिनांक 22.09.2021 (संलग्नक 'क') का अनुपालन किया जाता है।
घ)	इस योजना में विज्ञापन पर कुल कितना खर्च हुआ?	इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है।


ASHOK KUMAR
Deputy Director of Education
(LW Branch)
Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054

संलग्नक 'क'

DIRECTORATE OF EDUCATION
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
OLD SECRETARIAT, DELHI
(PRIVATE SCHOOL BRANCH)

F. NO. DE. 15 (178)/PSB/ 2021/ 3739-3743

DATED : 22/09/21

CIRCULAR

Subject: To provide free education to students whose both parents or either of any parents expired after March 2020 either due to COVID -19 or otherwise.

In pursuance to the Circular No. DE. 23(70)/RTE/2017/Part File I/178-186 Dated:-19/08/2021 and Circular No. DE. 23(70)/RTE/2017/Part File 1/128- 133 dated 23/07/2021 issued by DDE (RTE Cell) and in compliance with orders dated 27/07/2021 of Hon'ble Supreme Court of India in Case SMW(C) No.4 of 2020, Children who have become orphans or lost a parent after March, 2020 either due to COVID-19 or otherwise, need due attention to enable them to continue their education in Private Unaided/Aided Recognized schools.

In this connection all District DDEs are directed to ensure the continuation of the study of all such students. These students may be adjusted in the same school, if running on DDA or government allotted land, under freeship category immediately.

Or, such students may be treated as a student studying under Economically Weaker Section/Disadvantaged Group category and reimbursement may be claimed from the Directorate of Education, Delhi upto elementary level and after 8th class such students may be guided/facilitated for admission in any government school for their uninterrupted further education. A consolidated proposal will be submitted thereafter for the approval of Director (Education).

This issues with the approval of Director (Education).

(YOGESH PAL SINGH)
DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION (PSB)

All HOS/Manager
Private Aided/Unaided Recognised Schools, Delhi

F. NO. DE. 15 (178)/PSB/ 2021/ 3739-3743

DATED : 22/09/21

1. PS to Pr. Secretary (Education), DoE, Old Sectt. Delhi
2. PA to Director (Education), DoE, Old Sectt. Delhi
3. Addl. DE (School)/ Coordination Branch, DoE, Old Sectt. Delhi
4. All RDEs/ District DDEs/DDE (Zones), DoE through website to ensure the strict compliance of above directions.
5. DDE (School)/DDE (Aided School Branch)/DDE (Coord.) DoE, Old Sectt. Delhi
6. DDE (Planning), Planning Branch, DoE Timar Pur, Delhi
7. Section Officer, Litigation Branch, DoE, Old Sectt. Delhi
8. Programmer (MIS) for uploading the circular on website.
9. Guard file

(YOGESH PAL SINGH)
DEPUTY DIRECTOR OF EDUCATION (PSB)

ASHOK

ASHOK KUMAR
Deputy Director of Education
(LW Branch)
Directorate of Education
Govt. of NCT of Delhi
Old Secretariat, Delhi-110054